

महत्त्वपूर्ण परिपत्र/Important Circular

सं0. 847/प्रशा./हि.क./वा.का./2018-19
कार्यालय, प्रधान लेखा नियंत्रक (फै०)
10ए, शहीद खुदीराम बोस रोड
कोलकाता - 700 001

दिनांक .04.2018

सेवा में,

1. सभी वित्त एवं लेखा नियंत्रक (फै०)
2. सभी अधीनस्थ लेखा कार्यालय

विषय:- संघ के विभिन्न सरकारी प्रयोजनों के लिए राजभाषा नीति के कार्यान्वयन हेतु वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक कार्यक्रम ।

भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा संघ का राजकीय कार्य हिंदी में करने के लिए वार्षिक कार्यक्रम 2018-19 जारी कर दिया गया है ।

2. कृपया वार्षिक कार्यक्रम-2018-19 से संबंधित अनुपालन रिपोर्ट 10 अप्रैल, 2019 तक एवं वर्ष 2017-18 के वार्षिक कार्यक्रम की वार्षिक रिपोर्ट लौटती डाक से इस कार्यालय को भेजें ।
3. कृपया वार्षिक कार्यक्रम की संपूर्ण प्रति राजभाषा विभाग के पोर्टल rajbhasha.nic.in से डाउन लोड कर लिया जाए ।
5. कृपया वार्षिक कार्यक्रम के लक्ष्यों की प्रति अधीनस्थ कार्यालयों/अनुभागों में तत्काल परिचालित करें एवं इसकी सूचना इस कार्यालय को भी दें ।

३ -

(एस के घोष)

सहा. लेखा नियंत्रक (फै.)

प्रतिलिपि :-

1. रक्षा लेखा महानियंत्रक,

उलान बटार मार्ग, दिल्ली छावनी - सूचना के लिए।

2. प्रभारी अधिकारी
मुख्य कार्यालय के सभी अनुभाग
3. क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र कोलकाता

वार्षिक कार्यक्रम को प्र.ले.नि. (फै.) के वेबसाइट pcafys.nic.in से डाउनलोड कर वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को पाने के लिए हर संभव प्रयास करने के अनुरोध है ।

4. सभी वरिष्ठ ले.अ./लेखा अधिकारी

- सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए

5. वेबसाइट विकास कक्ष

संलग्नक - 02 पैज

- कार्यालयी वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।

म. आ. चार्ज

(मनोरंजन आचार्य)

वरि. लेखा अधिकारी

हिंदी के प्रयोग के लिए वर्ष 2018-19 का वार्षिक कार्यक्रम

क्र.सं.	कार्य विवरण	"क" क्षेत्र	"ख" क्षेत्र	"ग" क्षेत्र			
1.	हिंदी में मूल पत्राचार (ई-मेल सहित)	1. क क्षेत्र से क क्षेत्र को 100% 2. क क्षेत्र से ख क्षेत्र को 100% 3. क क्षेत्र से ग क्षेत्र को 65% 4. क क्षेत्र से क व ख क्षेत्र 100% के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति	100% 100% 65% 100%	1 ख क्षेत्र से क क्षेत्र को 90% 2 ख क्षेत्र से ख क्षेत्र को 90% 3 ख क्षेत्र से ग क्षेत्र को 55% 4.ख क्षेत्र से क व ख क्षेत्र 90% के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति	90% 90% 55% 90%	1 ग क्षेत्र से क क्षेत्र को 55% 2 ग क्षेत्र से ख क्षेत्र को 55% 3 ग क्षेत्र से ग क्षेत्र को 55% 4. ग क्षेत्र से क व ख क्षेत्र 55% के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति	55% 55% 55% 55%
2.	हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना	100%	100%	100%			
3.	हिंदी में टिप्पण	75%	50%	30%			
4.	हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम	70%	60%	30%			
5.	हिंदी टंकण करने वाले कर्मचारी एवं आशुलिपिक की भर्ती	80%	70%	40%			
6.	हिंदी में डिक्टेशन/की बोर्ड पर सीधे टंकण (स्वयं तथा सहायक द्वारा)	65%	55%	30%			
7.	हिंदी प्रशिक्षण (भाषा, टंकण, आशुलिपि)	100%	100%	100%			
8.	द्विभाषी प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना	100%	100%	100%			
9.	जर्नल और मानक संदर्भ पुस्तकों को छोड़कर पुस्तकालय के कुल अनुदान में से डिजिटल वस्तुओं अर्थात् हिंदी ई-पुस्तक, सीडी/डीवीडी, पैनड्राइव तथा अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में अनुवाद पर व्यय की गई राशि सहित हिंदी पुस्तकों की खरीद पर किया गया व्यय।	50%	50%	50%			
10.	कंप्यूटर सहित सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की द्विभाषी रूप में खरीद ।	100%	100%	100%			
11.	वेबसाइट द्विभाषी हो	100%	100%	100%			
12.	नागरिक चार्टर तथा जन सूचना बोर्ड आदि का प्रदर्शन द्विभाषी हो	100%	100%	100%			

13.	(i) मंत्रालयों/विभागों और कार्यालयों तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों (उ.स./निदे./सं.स.) द्वारा अपने मुख्यालय से बाहर स्थित कार्यालयों का निरीक्षण (कार्यालयों का प्रतिशत)	25%(न्यूनतम)	25%(न्यूनतम)	25%(न्यूनतम)
	(ii) मुख्यालय में स्थित अनुभागों का निरीक्षण	25%(न्यूनतम)	25%(न्यूनतम)	25%(न्यूनतम)
	(iii) विदेश में स्थित केंद्र सरकार के स्वामित्व एवं नियंत्रण के अधीन कार्यालयों/उपक्रमों का संबंधित अधिकारियों तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण		वर्ष में कम से कम एक निरीक्षण	
14.	राजभाषा संबंधी बैठकें (क) हिंदी सलाहकार समिति (ख) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ग) राजभाषा कार्यान्वयन समिति		वर्ष में 2 बैठकें वर्ष में 2 बैठकें (प्रति छमाही एक बैठक) वर्ष में 4 बैठकें (प्रति तिमाही एक बैठक)	
15.	कोड, मैनुअल, फॉर्म, प्रक्रिया और साहित्य का हिंदी अनुवाद	100%		